प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 55/2021)

तत्काल जारी

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी" (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) पर परामर्श पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 08 दिसम्बर 2021 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी" (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) पर परामर्श पत्र जारी किया है।

2. दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में उभरा है और देश को निवेशकों के बीच एक पसंदीदा व्यापार गंतव्य बना दिया है । दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में विकास के उच्च पथ पर आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं, यदि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नीतिगत ढांचे के मौजूदा प्रावधानों को सरल बनाकर कारोबारी माहौल को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है, जिसमें अनुमति, पंजीकरण और लाइसेंस हितधारकों को जारी करना शामिल है।

3. प्राधिकरण ने दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में मौजूदा प्रक्रियाओं में विभिन्न चिंताओं की पहचान करने और भारत में अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने हेतु दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र की विनियामक प्रक्रियाओं, नीतियों और प्रथाओं में आवश्यक सुधारों के लिए उपाय सुझाने के लिए स्वतः संज्ञान यह परामर्श पत्र जारी किया है।

4. यह परामर्श पत्र विभिन्न मुद्दों और देश में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में अपने कारोबार को शुरू करने और संचालन में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों पर हितधारकों की टिप्पणियों की मांग करता है। मौजूदा प्रक्रियाओं को सरल, व्यवसाय के अनुकूल बनाने और क्षेत्रों में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उपायों का सुझाव देने के लिए टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं। यह आवेदन जमा करने और विभिन्न एजेंसियों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए के लिए हितधारकों को अलग-अलग एजेंसियों के पास जाने के बजाय एकल खिड़की की अवधारणा पर भी जोर देता है। इस परामर्श पत्र के माध्यम से व्यवसाय के उचित संचालन के लिए सरलीकृत आवेदन में केवल आवश्यक विवरण और प्रश्न प्रतिक्रिया प्रणाली के साथ अच्छी तरह से प्रलेखित समय-सीमा, अन्य मंत्रालयों के साथ सहज एकीकरण आदि के लिए हितधारकों से टिप्पणियां मांगी जा रही हैं। हितधारकों से यह भी अनुरोध है कि वे इस परामर्श पत्र में उठाए गए सभी मुद्दों के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर अपनी बहुमूल्य टिप्पणियां प्रदान करें। परामर्श पत्र का पूर्ण अभिलेखन भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

5. परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां हितधारकों से 05 जनवरी 2022 तक आमंत्रित की जाती हैं। प्रति- टिप्पणियां, यदि कोई हो, 19 जनवरी 2022 तक प्रस्तुत की जा सकती है। टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेल dyadvbcs-1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अरविंद कुमार, सलाहकार (बीएंडसीएस) से दूरभाष नंबर:+91-11-23220209 पर संपर्क किया जा सकता है।

RAGHUNANDAN VARTHAKAVI

(वी. रघुनंदन)

सचिव, भादूविप्रा